किराजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil Transfer Application No. 198/2018

Smt. Ramkali @ Ramoo W/o Munim, Aged About 28 Years, B/c Gurjar R/o Pawta Tehsil Mahuwa Distt. Dausa Presently D/o Malliram R/o Chandan Gav Tehsil Hindaun City Distt. Karauli Rajasthan

----Petitioner

Versus

Munim S/o Shri Paras Ram, Aged About 30 Years, B/c Gurjar R/o Pawta Teshil Mahuwa Distt. Dausa Rajasthan

----Respondent

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

प्रार्थीया के अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण शर्मा।
अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री हरदेवपुरी गोस्वामी।

:: आदेश :: **30.11.2018**

प्रार्थीया की ओर से अधीनस्थ न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, **दौसा** में लंबित धारा **9** हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रकरण संख्या–**384/2013** को उक्त न्यायालय से **अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, हिण्डोन सिटी, जिला करौली** में स्थानांतरण किये जाने हेतु यह स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रकट किया कि प्रार्थीया महिला है तथा पक्षों के मध्य **करौली** न्यायक्षेत्र में धारा **498ए** भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम व धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता से संबंधित प्रकरण अलग–अलग न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा उन प्रकरणों में अप्रार्थी को नियत पेशी पर उपस्थित होना आवश्यक है। उनका यह भी तर्क रहा कि यदि उक्त प्रकरण **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हिण्डौन सिटी, जिला करौली** स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा उसमें अप्रार्थी की उपस्थिति जरिये अधिवक्ता दर्ज की जाती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इन आधारों पर प्रकरण स्थानांतरण किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन रहा कि यदि प्रकरण का स्थानांतरण किया जाता है तो अप्रार्थी की उपस्थिति जरिये अधिवक्ता दर्ज की जाए ।

समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हिण्डौन सिटी, जिला करौली** में अप्रार्थी की उपस्थिति जरिये अधिवक्ता दर्ज करने में योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया की सहमति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हिण्डौन सिटी, जिला करौली** में अप्रार्थी की उपस्थिति जरिये अधिवक्ता माने जाने का निर्देश दिया जाता है।

परिणामतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, **दौसा** में लंबित धारा **9** हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रकरण संख्या–**384/2013** को उक्त न्यायालय से न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हिण्डौन सिटी, जिला करौली** में स्थानांतरित किया जाता है। तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र भी निस्तारित होता है। आदेश की प्रति उक्त दोनों न्यायालयों को प्रेषित हो।

दोनों पक्ष दिनांक 20.12.2018 को न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हिण्डौन सिटी, जिला करौली** में उपस्थित रहे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

एम शर्मा–4
उपरोक्त निर्णय/आदेश भारत सरकार का राजपत्र सं.1, दि. 02 जनवरी, 1999 में प्रकाशित गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संकल्प/ नोटिफिकेशन के तहत सम्बन्धित भाषा (हिन्दी) में खुले न्यायालय में लिखाया गया।